भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2663

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

एसएसए के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

†2663. **श्री विष्णु दत्त शर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मध्य प्रदेश (सभी जिलों) सहित पूरे देश में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक का संपूर्ण दायरा शामिल है। यह योजना स्कूल शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में मानती है और शिक्षा हेतु सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप हैं। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश और खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को मुफ्त वर्दी, शिक्षण अधिगम सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता शामिल हैं।

साथ ही, योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलने/ उन्हें सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं के निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल की अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अल्प-सेवित अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत पुनर्भरण, विभिन्न गुणवत्तापूर्ण घटक, अध्यापक शिक्षा तथा डाइट/बीआरसी/सीआरसी का सुदृढ़ीकरण, आईसीटी एवं डिजिटल पहलों सहित स्कूल शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, वार्षिक योजनाएं संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के अनुसार तैयार की जाती हैं और इन्हें उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित किया जाता है। इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानकों, राज्य के पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश के अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मूल स्तर पर ऐसी योजनाओं की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

******